पत्रांक–01 / स्था० (स्थाना० / पदस्था०) 11–03 / 2019 –

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

रमेश कुमार दूबे,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची।

राँची, दिनांकः–

विषयः– स्थानांतरित अभियंताओं को विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं०–3837 दिनांक–20.11.18, अधिसूचना सं०–3838 दिनांक–20.11.18, अधिसूचना सं०–3839 दिनांक–20.11.18, अधिसूचना सं०–3840 दिनांक–20.11.18, अधिसूचना सं०–5616 दिनांक–27.12.18, अधिसूचना सं०–5618 दिनांक–27.12.18, अधिसूचना सं०–5620 दिनांक–27.12.18 एवं अधिसूचना सं०–5673 दिनांक–31.12.18 द्वारा कतिपय सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंतागण का स्थानान्तरण किया गया है।

2. अतः यह निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थानान्तरित सभी अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाय अन्यथा विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक–31.01.2019 के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेगें।

साथ ही, संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–10.02.2018 तक उपलब्ध कराया जाय।

3. विरमित नहीं होने की स्थिति में यदि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित अभियंता का माह फरवरी 2019 का वेतन भुगतान किया जाता है, तो इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह० / –
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– 363 राँची, दिनांकः– 24/01/19

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

D:\SEC-01\Draft\Jan-19.docx